



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-13042023-245158
CG-GJ-E-13042023-245158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]
No. 238]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
अधिसूचना

गांधीनगर, 11 अप्रैल, 2023

आईएफएससीए/2022-23/जीएन/037.—प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में दिनांक 14 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5199(अ) के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) (इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विमानन प्रशिक्षण सतत तंत्र उपकरण' के संबंध में परिचालन और वित्तीय लीज के संकर सहित परिचालन लीज को वित्तीय उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट करता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./018/2023-24]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 11th April, 2023

IFSCA/2022-23/GN/037.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) (hereinafter referred as the “said Act”) read with notification number S.O. 5199(E) dated 14th December, 2021 issued by Ministry of Finance, Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th December, 2021, the Authority hereby specifies an operating lease, including an hybrid of operating and financial lease, in respect of ‘*Aviation training simulation devices*’, as a financial product.

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./018/2023-24]